न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास – श्री राजेश कुमार नायक (आर.ए.एस.)

अपील नम्बर 13/2016 निर्णय दिनांक 27.6.2019

1.सहदेवदान पुत्र लेखूदान जाति चारण
2.दूर्गाकवंर पत्नी स्व0 दुर्गादान
3.मनोजदान
4.रूपदान
5.खेतुदान
6.पृथ्वीदान
7.सवाईदान
8.अलसीदान
} पिसरान दुर्गादान जाति चारण निवासी दासोड़ी तहसील कोलायत।

---अपीलान्ट्स

–: बनाम :–

1.भगवानदान
2.डूंगरदान
} पुत्र गणेशदान
3.शंकरदान
4.सीताराम
5.आशुदान
} पिसरान गोकुलदान
6.मंगीदेवी बेवा गायडदान
7.किसनदान
8.परमेश्वरदान
9. लक्ष्मी
} गायडदान
10. नत्थूदेवी पत्नी प्रभूदान
11.जतनकवंर
12.हरीसिह
13.कंचनकंवर
} पिसरान प्रभूदान
14. आवडदान पुत्र प्रभूदान
15. मोहनदान पुत्र गोकलदान
16. घन श्यामदान
17. मांगी कंवर
} पिसरान रामनारायण
18. रूखमणी पुत्री रामप्रतापदान
19. सायरकंवर पत्नी रामनाथदान
20. माधोदान
21. उच्छबकंवर
22. सुरजकंवर
23. भागीरथ
24. गोगा कंवर उर्फ उमा कंवर
25. भवानीदान
26. श्रवणदान
} पिसरान रामनाथदान

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर

27. ईशुदान
28. लुणदान } पिसरान धोकलदान
29. शंकरदान

30. सुरज
31. सुवटी } पिसरान सुखदान
32. धापू

33. भवंरदान दतकपुत्र केशुदान
34. सावलदान पुत्र रिडमलदान
35. भगवानदान पुत्र देवीदान
36. मघी बेवा दुर्गादान जाति चारण निवासी दासौड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
37. संरपंच ग्राम पंचायत दासौड़ी ।

– —रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत दासौड़ी दिनांक 20.05.2005 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 29 अवैध रूप से स्वीकृत किया ।

उपस्थितः– 1. राजेन्द्रगहलोत अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित ।

निर्णय

अपीलान्ट्स ने यह अपील ग्राम पंचायत दासौड़ी के आदेश दिनांक 20.05.2004 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 29 अवैध रूप से स्वीकृत कियागया हैं के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुतकी हैं।

विद्वान अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम दासौड़ी स्थित खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 7.98 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 391 की 20.19 हैक्टयर कुल 28.17 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी कृषि भुमि स्थित चली आ रही है।

अपीलान्टान एवं रेस्पोडेटान संख्या 1 ता 15 का वादगत भूमि में 1/4 हक व हिस्सा हैं इसी प्रकार रेस्पोडेन्टान संख्या 16 ता 26 का 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेन्टान संख्या 27 ता 29 का 1/6 हिस्सा, रेस्पोडेन्टान संख्या 30 ता 32 का 1/6 हिस्सा, रेस्पोडेन्टान संख्या 33 का 1/24 हिस्सा ,रेस्पोडेन्टान संख्या 34 का 1/24 हिस्सा ,रेस्पोडेन्टान संख्या 35 का 1/24 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्टान संख्या 35 का 1/24 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्टान संख्या 36 का 1/24 हिस्सा भूमि हक व हिस्से में आती हैं।

इस प्रकार वादगत भूमि में अपीलान्टान के पूर्वज लेखुदान का वादगत भूमि में 1/8 हिस्सा की 13 बीघा भूमि हक व हिस्से में आती हैं जिसके आधार पर अपीलान्ट संख्या 1 का इस वादगत भूमि कें 1/16 हक व हिस्सा भूमि आती हैं

उपखण्ड अधिकार

इसीप्रकार अपीलान्टान संख्या 2 ता 8 का इस वादगत भूमि में 1/16 हक व हिस्सा भूमि आती हैं।

अपीलान्टान संख्या 2 ता 8 के पिता व पति दुर्गादान का स्वर्गवासहोनेकेपश्चात उनके नाम से विरासतन इन्तकाल दर्ज करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन किया जिसके आधार अपीलाधीन जैर इन्तकाल स्वीकृत कर दिया गया इस इन्तकाल में अपीलान्टान का 1/16 हक वहिस्सा अंकित किया जाना चाहिये था परन्तु पटवारी द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय इन्तकाल के कोलम संख्या 9 में अपीलरटान का हक व हिस्सा 1/52 अंकित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्टान के हक व हिस्से की भूमि कम हो गई इसलिए आदेश जैर अपील इन्तकाल अवैध होने के कारण निरस्त योग्य हैं।

पटवारी हल्का द्वारा विरासतन इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलान्टान के हक वहिस्से की भूमि की सही गणना नही की गई हैजिसके कारण अपीलान्टान के हक व हिस्से की भूमि कम अंकित कर दी गई हैं जबकि उनका वादगत भूमि तें पूर्वज लेखुदान के हक व हिस्से के अनुसार 1/16,1/16 भूमि अंकितकी जानी चाहिये थी।,

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टान को कोई नोटिस नही दिया गया इसलिये अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही हुई । दिनांक 05.07.2016 को अपीलान्टान हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी लेने पर आदेश जैर अपील इन्तकाल संख्या 29 का पंचायत द्वारा दिनांक 20.05.2004 को स्वीकृत किया गया है कि जानकारी हुई।इस पर उसी दिन हल्का पटवारी जैर अपील इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की । इस प्रकार आदेश जैर अपील की सर्व प्रथम जानकारी से शीघ्र प्रस्तुत की जा रही हैं। प्रार्थनापत्र मियाद एवं शपथपत्र प्रस्तुत हैं

अपीलाधीन आदेश 45 दिन की अवधि निकलने के पश्चात पारित किया गया हैं जो क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण मियाद बिन्दू का कोई प्रतिबन्ध नही है। इसलिए अपील स्वीकार की जावें।

वकील अपीलान्टान की उपरोक्त एकतरफा बहस सुनी गई और उस पर मनन किया गया तथा दस्तावेजो को देखा गया जिससे स्पष्ट हैकि अपीलाधीन आदेश एव इन्तकाल नम्बर 29 दिनांक 20.05.2004 में खातेदारो के हक हिस्सा का वर्णन सही तरीके से नही किया गया हैं इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधिन आदेश एवं इन्तकाल नम्बर 29 निरस्त किया जाता हैं तथा पत्रावली तहसीलदार राजस्व कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती हैकि अपीलान्टान एवं रेस्पोडेटान का सही हक व हिस्सा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करे। निणर्य की प्रति तहसीलदार कोलायत (राजस्व) को आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निणर्य आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27.6.19

(राजेश नायक नायक)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी कोलायत

कोलायत जिला-बीकानेर